स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 272, दिनांक 11–09–2024

डकैती की घटना में जनपद बलरामपुर से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल गुप्ता कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।

दिनांक 10–09–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022 धारा 395/420/467/468/471/411 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल गुप्ता को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– राहुल गुप्ता पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम महतिनीया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

कस्बा बावड़ा, सुगरमील चौक, बस स्टाप के पास, दिनांक 10–09–2024 समय 18:35 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2022 धारा 395/420/467/468/471/411 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल गुप्ता कोल्हापुर, महाराष्ट्र में रहता है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक कुमार पाण्डेय, मु0आ0 अमित कुमार सिंह, मु0आ0 चालक नगेश कुमार मिश्रा की एक टीम कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। कोल्हापुर पहुँचकर स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन के उपरान्त वांछित अभियुक्त राहुल गुप्ता के कस्बा बावड़ा, सुगरमील चौक, बस स्टाप के पास होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा क्राइम ब्रान्च कोल्हापुर के सहायोग से अभियुक्त राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो पिछले कई वर्षो से चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। घटनाओं से प्राप्त पैसे आपस में बांट लेते है तथा सामानों को कुछ समय बाद बेचकर उसका भी पैसा आपस में बांट लेते है। दिनांक 05–09–2022 की सुबह जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार स्थित एक जनसेवा केन्द्र के खुलते ही अपने साथी रमेश, सुभाष, डाक्टर एवं एक अन्य (डाक्टर का साथी) के साथ मिलकर उक्त जनसेवा केन्द्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। जहॉ से प्राप्त पैसा आपस में बॉट लिया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रेहरा बाजार में अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त बलरामपुर से भागकर मुम्बई चला गया था और वही पर छिपकर रह रहा था। इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>अभियुक्त तबरेज का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है-</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	118/2019	458/382/411 भादवि	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
2	127/2019	380/411 भादवि	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
3	131/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर
4	205/2019	3(1) यूपी गुण्डा एक्ट	डुमरियागंज	सिद्धार्थनगर

5	03 / 2020	3(2) यूपी गुण्डा एक्ट	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
6	55 / 2020	457 / 380 / 411 भादवि	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
7	66 / 2020	457 / 380 / 411 / 413 / 419 / 420 / 467 / 468 / 472 / 188 / 269 / 270 भादवि	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
8	83 / 2020	380 / 411 भादवि	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
9	158 / 2020	110 जी सीआरपीसी	भवानीगंज	सिद्धार्थनगर
10	327 / 2020	379 / 411 भादवि	हरैया	बस्ती
11	512 / 2020	379 / 411 भादवि	को0 नगर	बस्ती
12	156 / 2022	395 / 420 / 467 / 468 / 471 / 411 भादवि	रेहरा बाजार	बलरामपुर

गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तार अभियुक्त को थाना शाहुपुरी, जनपद कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में दाखिल करके दिनांक 11–09–2024 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोल्हापुर के समक्ष पेश कर 04 दिवस का ट्राजिंस्ट रिमाण्ड प्राप्त किया गया, तदोपरान्त अभियुक्त को उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया जा रहा है।